वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू0वि0वि0/डी0एस0डब्लू/515 /2022–23

दिनांक : 08.09.2022

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जौनपुर, एवं गाजीपुर जनपद के महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2022–23 हेतु दिनांक 29 अगस्त, 2022 को शासन द्वारा जारी की गयी समय–सारणी के अनुसार जो शिक्षण संस्थान (महाविद्यालय) स्कालरशिप पोर्टल के मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित नहीं हैं वे दिनांक 13 सितम्बर, 2022 तक अपने–अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन पासवर्ड प्राप्त कर मास्टर डाटा बेस में अपने महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं (पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक, (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंको को जोड़ते हुये) विश्वविद्यालय का नाम आदि सूचनाओं को स्कालरशिप पोर्टल पर अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित कर लें।

2–जो महाविद्यालय मास्टर डाटा में पहले से सम्मिलित हैं वे अपने संस्थान से सम्बन्धित सूचनाएं/विवरण अद्यतन कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित कर लें जिससे आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भर सके।

संलग्नकः यथोक्त।

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–
1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
2–आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर एवं जौनपुर के सूचनार्थ।
4–विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5–अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस–विज्ञप्ति

कृपया शासनादेश सं0 98 / 2022 / 1970 / 26–3–2022–4 (358) / 07 टी.सी. ।।। दिनांक 29 अगस्त 2022 द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–सारिणी निर्गत की गयी है। जनपद के समस्त सस्थायें निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

क0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022–23)
1	प्रदेश मे स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटावेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग / विश्व विद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना। तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्था) एवं मास्टर डाटा मे सम्पूर्ण सूचनाये भरकर / अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा के पूर्व मे सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटो की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा मे 2 सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुए) पाठ्यक्रमवार एफिलिएटिंग एजेन्सी एवं विश्वविद्यालय के नाम एवं आयुष कोड आदि सूचनाओं को अंकित / अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	13 सितम्बर, 2022 तक

जनपद में बहुत से महाविद्यालय, आई0टी0आई0 एवं अन्य संस्थान जो मास्टर डाटा मे आज की तिथि तक अपडेट नही किये है जिससे छात्र छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन नही कर सकेगें। समयान्तर्गत मास्टर डाटा अपडेट किये किये जाने के उपरान्त ही आवेदन किया जा सकेगा।

(राम नगीना यादव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
गाजीपुर।

कार्यालय– जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक C.5359 / स0क0 / दशमो0छा0 / विज्ञप्ति / 2022–23 दिनांक–> 9/22

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
4. उप निदेशक, समाज कल्याण, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद के समस्त संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें साथ ही अपने स्तर उक्त प्रेस विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन मुख्य दैनिक समाचार–पत्रों मे कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि जनपद में प्रकाशित होने वाले समस्त समचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
8. प्रधान सम्पादक .... जनपद गाजीपुर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गाजीपुर।